न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–111/2009–10 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

श्रीमती प्रेम देवी उर्फ प्रेमा रावत पत्नी स्व0 बंशीलाल, निवासी–35 ठाकुरपुर निचला, प्रेमनगर, जिला देहरादून।

बनाम

1– संजीव कुमार पुत्र अज्ञात, निवासी–77 अंसारी मार्ग, देहरादून, 2. अभिषेक भण्डारी पुत्र वी0एस0 भण्डारी, निवासी–31 ई0सी0 रोड, देहरादून, 3. संजीव रौथान पुत्र हुकम सिंह, निवासी मियांवाला, परगना परवादून, जिला देहरादून।

उपस्थित	:	श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकत्री	:	श्री के0पी0 सिंह।
अधिवक्ता उत्तरदातागण	:	श्री सुनील कुमार त्यागी।

निर्णय

यह निगरानी नायब तहसीलदार, देहरादून द्वारा वाद संख्या–3138 वर्ष 2007 अभिषेक भण्डारी आदि बनाम संजीव कुमार आदि अन्तर्गत धारा–201 सपठित धारा–34/35 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 31–03–2010 के विरूद्ध इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया है कि मूल दाखिल खारिज वाद संख्या–3138/2007 में पारित आदेश दिनांक 10–12–2007 को पारित करने से पूर्व निगरानीकत्री को कोई नोटिस राजस्व न्यायालय नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जारी नही किया गया तथा आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया, कि आदेश दिनांक 10–12–2007 को निरस्त कर निगरानीकत्री को सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 प्रस्तुत किया गया जिसे इस आधार पर निरस्त किया गया कि निगरानीकत्री द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–229बी जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद योजित किया है जो कि विचाराधीन है, एवं कि न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने में न्यायिक मष्तिष्क का प्रयोग नही किया गया है तथा ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया गया है जो उसमें विधि द्वारा निहित नही थी एवं आक्षेपित आदेश अवैध रूप से एवं तात्विक अनियमितता से पारित किया गया।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:–

उत्तरदाता संख्या–2 अभिषेक भण्डारी पुत्र वी0एस0 भण्डारी द्वारा एक नामान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांक 10–12–2007 को बैनाम के द्वारा क्रय भूमि खाता संख्या–1952 खसरा सं0 70 कुल क्षेत्रफल 0.467 है0 स्थित मौजा आरकेडियाग्रान्ट, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून,

तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया जिसपर दिनांक 27–09–2007 को उद्घोषणा जारी की गई एवं आपत्ति न प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण निर्विवादित मानकर विद्वान नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 10–12–2007 से नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।

नामान्तरण आदेश दिनांक 10–12–2007 के विरूद्ध निगरानीकत्री द्वारा एक पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–201 भू0रा0अधि0 दिनांक 17–08–2009 को नायब तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर पक्षकारों को सुनने के उपरान्त विद्वान नायब तहसीलदार, देहरादून ने अपने आदेश दिनांक 31–03–2010 से यह निष्कर्ष अंकित करते हुए कि निगरानीकत्री/आपत्तिकर्ता द्वारा धारा–229बी जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद योजित किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है अतः आपत्तिकर्ता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है। इसी आदेश दिनांक 31–03–2010 के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

मैंने उभयपक्षों की विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

निगरानीकत्री के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आलोच्य नामान्तरण कार्यवाही में अन्तर्विष्ट विक्रय दिनांक 26–09–2007 के द्वारा वादग्रस्त भूमि का एक विशिष्ट अंश सीमाओं सहित किया गया जिसके आधार पर एकपक्षीय रूप से नामान्तरण की कार्यवाही की गई एवं जब क्रेता स्थल पर अध्यासन लेने के लिए आया तभी उक्त नामान्तरण की निगरानीकत्री को जानकारी हो पायी एवं उसके द्वारा धारा–201 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत वाद पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17–08–2009 प्रस्तुत किया गया जिसे अविधिक एवं तात्विक अनियमितता कर दिनांक 31–03–2010 को अस्वीकृत किया गया जबकि नामान्तरण की कार्यवाही में उद्घोषणा विधिवत नही निर्गत की गई जिसकी प्रतिलिपि न तो सहखातेदार, न ही भूमि प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को भेजी गई जिसके दृष्टिगत आलोच्य नामान्तरण कार्यवाही विधितः शून्य (nullity) थी, कि मूल नामान्तरण की कार्यवाही में कोई आदेश पत्र नही अनुरक्षित किया गया, कि आक्षेपित आदेश दिनांक 31–03–2010 के द्वारा निगरानीकत्री को सुनवाई के अवसर से वंचित रखा गया है एवं कि वादग्रस्त भूमि का कोई मौखिक विभाजन नही हुआ। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में कतिपय न्यायिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया है जिनकी यथास्थान व्याख्या की जा रही है।

प्रत्युत्तर में उत्तरदाता संख्या–2/क्रेता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निगरानीकत्री द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में धारा–229बी जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत एक घोषणात्मक वाद योजित किया गया है, कि नामान्तरण में अन्तर्विष्ट विक्रय से सम्बन्धित भूमि का आपसी बंटवारा पूर्व में हुआ है एवं निगरानीकत्री ने अपने अंश पर घर बनाया है एवं स्वयं खेती करती है, कि विक्रय विक्रेता के अंश का ही हुआ है तद्नुसार निगरानीकत्री की आपत्ति अतार्किक है कि उसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि चार–चार वाद चल रहे है, कि

निगरानीकत्री को प्रश्नगत विक्रय से कोई क्षति नही होती एवं उसके द्वारा अपना अपील का विधिक अधिकार का प्रयोग नही किया गया है।

आलोच्य नामान्तरण प्रकरण में अन्तर्विष्ट भूमि की निगरानीकत्री स्वीकार्य रूप से सहखातेदार है एवं मूल नामान्तरण आदेश दिनांक 10–12–2007 एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। विद्वान नायब तहसीलदार, देहरादून की संगत पत्रावली में उपलब्ध उद्घोषणा दिनांक 27–09–2007, कागज संख्या–4, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्घोषणा की प्रतिलिपि न तो सहखातेदार को, न विक्रेता को एवं न ही भूमि प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष को उपलब्ध कराई गई है। इस उद्घोषणा के पृष्ठ भाग पर इसकी प्रति मौके पर चस्पा किये जाने की आख्या अंकित है तद्नुसार उद्घोषणा धारा–197 भू0रा0अधि0 एवं राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रस्तर ए–376 एवं ए–377 के अनुसार निर्गत नही की गई है जिसके फलस्वरूप आलोच्य नामान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैधानिक एवं दूषित है। इस सम्बन्ध में निगरानीकत्री के विद्वान अधिवक्ता द्वारा राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश (पूर्ण पीठ) की रामयज्ञ बनाम बृहस्पतिनाथ व अन्य, 1978 आर0डी0 157, अशोक कुमार बनाम श्रीमती श्योरनवा, 1996 (87) आर0डी0 504, कुलवेन्द्र सिंह व अन्य बनाम मदनलाल, 1982 आर0डी0 102, भुग्गा बीबी व अन्य बनाम सुबेन्द्रखान व अन्य, 1976 आर0डी0 319, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की, गुलाब शंकर तिवारी बनाम उप संचालक, चकबन्दी इलाहाबाद, 1982 आर0डी0 199 एवं इस न्यायालय की इंदू भूषण आदि बनाम वीरेन्द्र दत्त आदि, 2006 (2) AWC 3.25 (BR) न्यायिक व्यवस्थाओं में भी यही अवधारित किया गया है कि नामान्तरण की कार्यवाही में उद्घोषणा सम्बन्धी त्रुटि कार्यवाही को मौलिक रूप से प्रभावित करती है एवं बिना विधिवत उद्घोषणा निर्गत किये संचालित नामान्तरण की कार्यवाही एवं पारित नामान्तरण आदेश विधि की दृष्टि में शून्य (nullity) होते है। तद्नुसार आलोच्य नामान्तरण की कार्यवाही मात्र इस आधार पर अपखण्डित (quash) होने योग्य है।

चूंकि उद्घोषणा की प्रतिलिपि सहखातेदार/निगरानीकत्री को प्रेषित ही नही की गई अतः उसे नामान्तरण की कार्यवाही का पूर्व से ही ज्ञान होने की धारणा नही हो सकती है। उसके द्वारा शपथ पत्र के साथ इस सम्बन्ध में अपना कथन प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में विद्वान नायब तहसीलदार ने कोई उल्लेख, विश्लेषण व विवेचन नही किया है। वास्तविकता तो यह है कि विद्वान नायब तहसीलदार ने धारा–201 भू0रा0अधि0 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई विचार ही नही किया है एवं बिना किसी विचारण के उसे बलहीन पाया है। तद्नुसार उन्होंने स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नही किया है। विद्वान नायब तहसीलदार ने पूर्व में पारित नामान्तरण आदेश को औचित्यपूर्ण पाकर पुनर्स्थापन प्रार्थना अस्वीकृत किया है जबकि उन्हें पुनर्स्थापन प्रार्थनापत्र के गुण दोष तक ही स्वयं को सीमित रखना चाहिए न कि अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय की भांति नामान्तरण आदेश की समीक्षा करनी थी। निगरानीकत्री को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था क्योंकि उसे सुनवाई के अवसर से वंचित रखा गया है। तद्नुसार विद्वान नायब तहसीलदार ने

निगरानीकत्री को सुनवाई का अवसर प्रदान न कर ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उनमें निहित नही था। निगरानी तद्नुसार स्वीकारणीय है एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17--08--2009 स्वीकार कर नामान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही अपखण्डित (quash) होकर नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के स्तर से नये सिरे से संचालित किये जाने योग्य है।

निगरानी की उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत द्विान अधिवक्तागण के गुण दोष सम्बन्धी अन्य तर्कों एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं पर विचार किया जाना आवश्यक नही है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 31--03--2010 को अपास्त करते हुए निगरानीकत्री का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 17--08--2009 स्वीकार किया जाता है तथा सम्पूर्ण नामान्तरण की कार्यवाही एवं नामान्तरण आदेश दिनांक 10--12--2007 को अपखण्डित (quash) करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिवत उद्घोषणा जारी कर नामान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न की जाए। पक्षकार दिनांक 10--07--2017 को अवर न्यायालय में उपस्थित हों। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित की जाए।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 19--06--2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी
सदस्य(न्यायिक)